5

(12)

समक्षः- न्यायालय [illegible] (म.प्र.) [श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. कैम्प उज्जैन (म.प्र.)]

R-1695-I/13

(1) सुगराबाई पिता नसीब खां

(2) हाफीज खां पिता नसीब खां

निवासी नाहरगढ,तहसील सीतामऊ — [illegible] आवेदकगण

बनाम

(1) शहजाद पिता बाबूखां

(2) बाबूखां पिता नसीब खां

निवासी नाहरगढ, तहसील सीतामऊ ---- प्रत्यर्थीगण/अनावेदक

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार महोदय श्यामपुर द्वारा प्र0क्र0 27/अ/6/2005-2006 में दिनांक 8.11.2010 को पारित आदेश के संबंध में हुई अपील क्रं.46/2010-2011 में अनुविभागीय अधिकारी महोदय सीतामऊ द्वारा दिनांक 30.9.2011 को पारित आदेश से व्यथित होकर म.प्र. भू.रा.संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु आवेदन पत्र

माननीय महोदय,

आवेदकगण का सविनय निवेदन है कि :-

ग्राम नाहरगढ़ के कृषि भूमि खाता क्रं.556 के सह भूमि स्वामी रऊफ खां की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी व संतान न होने के कारण उनके उत्तराधिकारी बहिन सुगराबाई, भाई हाफीज खां व बाबूखां का नामांतरण करने का आदेश दिया गया था । प्रत्यर्थी/अनावेदक क्रं.1 शहजाद ने वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया था किन्तु वसीयत वास्तविक नहीं पाई गई । इस कारण स्वर्गीय रऊफ खां की बहिन सुगराबाई , भाई हाफीज खां व बाबूखां का नामांतरण किया गया । इस नामांतरण आदेश के संबंध में प्रत्यर्थी बाबूखां के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी । यह अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने स्वीकार कर प्रकरण को पुनः विचार हेतु प्रत्यावर्तित किया है ।

उक्त प्रत्यावर्तन आदेश से व्यथित होकर पुनरीक्षण हेतु यह आवेदन पत्र निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

-निरंतर-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1695-एक/13 जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर मंदसौर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	

Scanned by CamScanner